

(f) when was the last payment received from Libya and for how long the arrears are pending?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir. I.A.A.I. has entered into a collaboration agreement with R.C.C. a Libyan Government undertaking on 12-2-86 to depute Indian experts/technicians for airport projects in Libya.

(b) So far 89 experts and technicians have been deputed to Libya under this agreement and all are working there.

(c) I.A.A.I. have received full payment in respect of salaries of experts/technicians upto June, 1987. For the period beyond that and for 15 per cent margin money, the matter is being pursued with the Libyan authorities. These are current payments and the bills are under process.

(d) The present agreement does not call for any financial inputs from I.A.A.I. I.A.A.I. would be providing only experts and technicians for which the actual expenditure plus a margin money of 15 per cent is to be paid by the client.

(e) The payments outstanding as on 31-7-87, in respect of the new collaboration agreement amount to 19,358.545 LD.

(f) The last ad-hoc payment was received on 2-8-87 and the arrears are pending w.e.f. 31-7-87.

**शिक्षकों के रिक्त पदों का भरा जाना**

2926. **कुमारी सईदा खातून :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विभाग में विभिन्न पेड़ों के शिक्षकों के रिक्त पदों को प्रति वर्ष भरा जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिये बनाये गये नियम क्या हैं और क्या इन नियमों की जांच करने के लिये कोई समिति गठित की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस समिति का ग न कब तक किया जाएगा और क्या इसका गठन राज्य, जिला, संभाग स्तर पर किया जाता है ; और

(घ) क्या इस समिति में सांसदों, विधायकों, व्याख्याताओं, उच्च श्रेणी शिक्षकों तथा निम्न श्रेणी शिक्षकों को शामिल किया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा सहो) : (क) से (घ) शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) शिक्षकों को नियुक्त नहीं करता। शिक्षकों की नियुक्तियाँ राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों आदि द्वारा की जाती हैं जिसके लिये उनके अपने ही नियम तथा क्रियाएँ होती हैं। शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने न तो इस संबंध में नियमों की जांच करने के लिये किसी समिति का गठन किया है और न ही कोई ऐसी समिति गठित करने का प्रस्ताव है

**आदिवासी क्षेत्रों में आयुर्वेदिक तथा सिद्ध में अनुसंधान और प्रशिक्षण**

2927. **श्री रसीद मसूद :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुर्वेदिक और सिद्ध में अनुसंधान की केन्द्रीय परिषद ने हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों से ऐसी कुछ दवाओं के नमूने, नुस्खे तथा उनसे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त की है जिन्हें आदिवासी लोगों द्वारा अपने उपचार के लिये प्रयोग में लाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दवाओं, सुष्ठों तथा जातकारी की समाप्तिता को जांचा गया है और यदि हां, तो उपरोक्त दवाओं का क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी जांच कब तक किये जाने की संभावना है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापड़) :**  
(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) परिवार के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही आदिवासी अनुसंधान यूनिटें देगी औषधियों और व्यवसाय के बारे में आंशिक सूचना एकत्र कर रही हैं । बिहार के नवादा जिले के आदिवासियों ने जिस "बन्धावरी" औषधि के गर्भ निरोधक होने का दावा किया है, उसका केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने परीक्षण के लिये अध्ययन शुरू किया है ।

**लोदी रोड काम्पलेक्स में बाल उद्यान की भूमि पर पब्लिक स्कूल**

2928. श्री रशीद मसूद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन शिक्षा विभाग ने लोदी रोड काम्पलेक्स, नई दिल्ली में बाल उद्यान की भूमि पर एक पब्लिक स्कूल चलाने की अनुमति दे दी है ।

(ख) क्या यह भी सच है कि इस स्कूल के खोले जाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने सरकार से सम्पर्क किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और इस स्थान पर एक स्कूल चलाने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती दुष्णा साही) :** (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**

2929. श्री रशीद मसूद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैलथ फार ऑल इन 2001 ए डी के अनुसरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इसमें से कितने केन्द्रों के पास भवन तथा आवश्यक स्टाफ का अभाव है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई ठोस समयबद्ध योजना तैयार की है और यदि हां, तो उस योजना की प्रतीक्षा क्या है ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापड़) :**

(क) और (ख) देश में कुल 14,145 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं । इनमें से 9046 सरकारी भवनों में हैं और 463 भवन निर्माणाधीन हैं । शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराए के भवनों या दान दिए भवनों या औषधालयों के पुराने भवनों आदि में कार्य कर रहे हैं । चिकित्सा अधिकारियों के 3027 पद, फार्मसिस्टों, के 2235 पद और प्रयोगशाला तकनीशियनों के 1194 पद जो कि बहुत ही आवश्यक हैं, खाली पड़े हैं ।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलना राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत आता है जिसके लिए योजनागत धन आवंटित किया जाता है । राज्यों